सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुड़ामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2025 / 472 दर्ज तिथिः—09.07.2025

—:निर्णयः—

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना—पत्र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर खसरा संख्या 452, 512, 511, 456, 454, 714 / 455, 446, 464, 457, 458, 461, 463, 462, 466, 465, 477 मौजा लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में उक्त रास्ता स्थाई रूप से बारहमासी चलायमान है जिस पर राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 के अनुसार सभी काश्तकारों को अपने खेत खसरा तक पहुंच हेतु रास्ते के उपयोग के लिये राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में उपयोग में आ रहा है। परंतु उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। उक्त रास्ता मौके पर भी बारहमासी कदीमी रास्ते के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। अतः मौके पर चालू कदीमी रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में परिपत्र दिनांक 10.08.2016 तथा 30.09.2021 के अनुसार उक्त रास्ते को सार्वजनिक रास्ता अंकित करने का निवेदन किया है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मौके पर चलायमान रास्ते के संबंध में नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः—

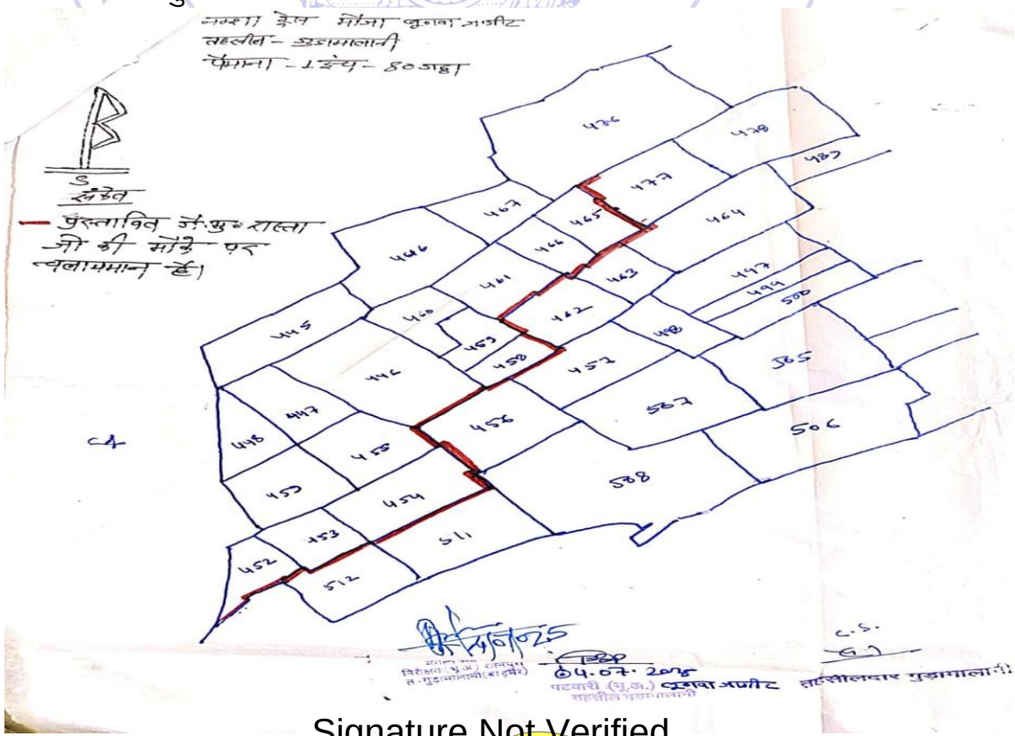

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:54 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना—पत्र पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में खसरा संख्या 511, 476 के खातेदार, शंभूसिंह पुत्र वीरसिंह, कल्याणसिंह पुत्र वीरसिंह, अशोकसिंह पुत्र शंभुसिंह, नेपालसिंह पुत्र शंभुसिंह के अतिरिक्त समस्त पक्षकारान द्वारा हाजिर न्यायालय होकर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु सहमति प्रदान की। प्रकरण में खसरा संख्या 511, 476 के खातेदार, शंभूसिंह पुत्र वीरसिंह, कल्याणसिंह पुत्र वीरसिंह, अशोकसिंह पुत्र शंभुसिंह, नेपालसिंह पुत्र शंभुसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 477 में लाकर अंतिम कर दिया गया है। जबकि उक्त रास्ते का अंतिम खसरा संख्या 476 है। जिसमें उक्त खातेदारान 1/2 हिस्से के खातेदार होने के साथ ही उक्त खातेदारान का कब्जा काश्त एवं रहवासी घर आदि बने हुए हैं। साथ ही उक्त रास्ता खसरा संख्या 476 में से होकर खसरा संख्या 477 के सेढासेढ आगे भी अन्य खसरों को जोड़ता हुआ आगे तक चालू है। साथ ही निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 511 एवं 456 में से सम्पूर्ण रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जबकि खसरा संख्या 476 में से आगे रास्ता जाने के बावजूद भी उक्त रास्ता दुर्भावानापूर्वक प्रस्तावित नहीं किया गया है। अंत में अप्रार्थीगण द्वारा मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब करने का निवेदन किया गया। प्रकरण में उक्त अप्रार्थीगण के अतिरिक्त शेष समस्त अप्रार्थीगण द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए कथन किया कि खसरा संख्या 476 के खातेदार यदि अपने खेत में से रास्ता समर्पित करवाते हैं। तो अन्य अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

3. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या खसरा संख्या 452, 512, 511, 456, 454, 714/455, 446, 464, 457, 458, 461, 463, 462, 466, 465, 477 मौजा लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में उक्त रास्ता बारहमासी चालू रास्ता होने पर राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 व 30.09.2021 के अनुसार सभी काश्तकारों को अपने खेत खसरा तक पहुंच हेतु रास्ते के उपयोग में आ रहा है। परंतु उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त रास्ता मौके पर भी बारहमासी कदीमी रास्ते के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। इस प्रकार प्रस्तावित मार्ग पर कदीमी रास्ता मौके पर चालू है। इस संबंध में परिपत्र दिनांक 10.08.2016 तथा 30.09.2021 के अनुसार केवल बारहमासी मौके पर चालू रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में सार्वजनिक रास्ता अंकित करने के निर्देश दिये गये हैं।

4. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त खसरा संख्या 476 के खातेदारों द्वारा मौके पर रास्ता चालू होने के संबंध में उक्त रास्ते को आगे प्रस्तावित किये जाने का निवेदन किया गया है। प्रकरण में उक्त प्रस्तावित रास्ते के संबंध में समस्त अप्रार्थीगण खातेदारों द्वारा सहमति दिये जाने के प्रस्ताव पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर भी पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रार्थी द्वारा बाहरमासी चालू रास्ते के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित किया है। जिसके संबंध में अप्रार्थीगण की कोई स्पष्ट एवं विधिसम्मत आपत्ति न्यायालय को प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता है। साथ ही उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य चालू रास्ते के संबंध में

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:54 IST
Reason: SelfAttested

सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने या उक्त भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में रास्ते हेतु समर्पण करवाने हेतु अप्रार्थीगण स्वतंत्र है।

5. उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू—राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 के अनुसार कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने की शक्तियां भू—अभिलेख अधिकारी को प्रदत्त है। राज्य सरकार द्वारा भू—अभिलेख अधिकारी की शक्तियां संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रत्योजित की गई है।

6. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा उक्त प्रस्तावित कदीमी रास्ते को मुताबिक मौका राजस्व रिकॉर्ड मे राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू—राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 31.09.2021 के प्रावधानों के तहत खसरा संख्या खसरा संख्या 452, 512, 511, 456, 454, 714/455, 446, 464, 457, 458, 461, 463, 462, 466, 465, 477 मौजा लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी में उक्त रास्ता सहकाश्तकारों के मध्य विभाजन होने पर सभी काश्तकारों को अपने खेत खसरा तक पहुंच हेतु रास्ते के उपयोग के लिये राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में तरमीम की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज एवं मौके पर चालू रास्ते के भूमि उपयोग को गै0मु0 रास्ता के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का उक्त राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना—पत्र में वर्णित खसरा संख्या खसरा संख्या 452, 512, 511, 456, 454, 714/455, 446, 464, 457, 458, 461, 463, 462, 466, 465, 477 मौजा लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी को राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 03.10.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:54 IST
Reason: SelfAttested